

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज.)

क्रमांक: स्था./प.161/2024/85

दिनांक: 15.02.2024

--: आदेश :-

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र क्रमांक GEN/XV/147/2023/2327 दिनांक 05.12.2023 द्वारा eCommittee, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की ओर से जारी Standard Operating Procedure के बिन्दु संख्या 32 में दिए गए निर्देशों की पालना में निम्नानुसार न्यायक्षेत्र करौली के लिए जिला न्यायालय समिति का गठन किया जाता है :-

1. श्री प्रशान्त अग्रवाल, : अध्यक्ष
अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज.)
2. श्री निखिल सिंह, : सदस्य
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज.)
3. श्री अब्दुल वाहिद, : सदस्य
अधिवक्ता,
न्यायालय परिसर, करौली (राज.)
4. श्री अजय कुमार वर्मा, : सदस्य
District System Administrator,
हाल लिपिक ग्रेड-प्रथम,
न्या.वि.न्या. अजा/अजजा (अ.नि.) प्रकरण, करौली (राज.)

उक्त कमेटी दिव्यांगों को संलग्न माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के पत्र दिनांक 05.12.2023 तथा Standard Operating Procedure में दिए गए निर्देशानुसार कार्यवाही करेगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि दिव्यांगों के सामने आने वाली किसी भी चुनौती का तुरन्त समाधान किया जा सके।

Sd/-

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज.)

दिनांक: 15.02.2024

क्रमांक: स्था./प.161/2024/1491

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर (राज.)
2. श्री प्रशान्त अग्रवाल, अति. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, करौली (राज.)
3. श्री निखिल सिंह, वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, करौली (राज.)
4. श्री अब्दुल वाहिद, अधिवक्ता, न्यायालय परिसर, करौली (राज.)
5. श्री अजय कुमार वर्मा, District System Administrator, हाल लि.ग्रे. I, न्या.वि.न्या. अजा/
अजजा (अ.नि.) प्रकरण, करौली (राज.)
6. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, करौली
7. सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय करौली की विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु
8. संबंधित/आदेश पत्रावली

जिला एवं सेशन न्यायाधीश,
करौली (राज.)